सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 603 राँची, मंगलवार, 7 भाद्र, 1938 (श०)

29 अगस्त, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

19 जनवरी, 2017

विषय:- झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों के प्रबंधन हेतु संशोधित प्रणाली के विकास के लिए NCDEX e Market Ltd (NeML) की सेवाएँ Nomination के आधार पर प्राप्त करने एवं NeML द्वारा खुली निविदा के माध्यम से Stock Monitoring Agency एवं Stock Audit Agency के चयन की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या- प्र. 05 रा.खा.नि.स्था. 2/2016-261-- राज्य में जन वितरण प्रणाली के संचालन में झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है । राज्य खाद्य निगम भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव कर अपने नियंत्रणाधीन जिला एवं प्रखंड स्थित गोदामों में खाद्यान्न भण्डारित करता है । तत्पश्चात झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदामों से जिला प्रशासन द्वारा डोर-स्टेप डिलिवरी के माध्यम से खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक पहुँचाया जाता है । वर्तमान में निगम के अधीन कार्यरत गोदामों की संख्या 240 है। निर्माणोपरांत इन गोदामों की संख्या में बढ़ोत्तरी संभावित है ।

2. वर्तमान में राज्य खाद्य निगम में सभी स्तरों पर कर्मियों की अत्यंत कमी है । प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं जिला स्तर से अन्य विभागों के पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों को सहायक गोदाम प्रबंधकों का अतिरिक्त प्रभार देते हुए गोदामों का प्रबंधन किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कार्य की गुणवता प्रभावित हो रही है ।

3. उल्लेखनीय है कि राज्य में जन वितरण प्रणाली के सफलता पूर्वक लागू किये जाने के लिये आपूर्ति प्रबंधन श्रृखंला का प्रभावकारी रूप से संचालन अत्यावश्यक है, जिसमें खाद्यान्न उठाव, भंडारण एवं निर्गमन सबसे महत्वपूर्ण प्रकिया है । झारखंड राज्य के जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है जो अपने अंतिम चरण में है। इसके अंतर्गत खाद्यान्न का उठाव, परिवहन, भंडारण, निर्गमन ऑनलाइन किया जा रहा है । इस परिपेक्ष्य में यह आवश्यक है कि राज्य खाद्य निगम के गोदामों में दक्ष एवं समर्पित कर्मी कार्यरत हों ।

4. राज्य खाद्य निगम के गोदामों में सहायक गोदाम प्रबंधकों की रिक्तियों को भरने हेतु नयी नियुक्ति की प्रक्रिया के स्थान पर आउट सोर्सिंग के द्वारा वैसी संस्थाओं का चयन किया जाना प्रस्तावित है जो गोदाम प्रबंधन हेतु दक्ष एवं निपुण कर्मी उपलब्ध करा सकें। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य निगम के संव्यवहार (Transaction) के अंकेक्षण हेतु भी फर्म का चयन किया गया है ।

5. राज्य सरकार एवं NCDEX e Market Service Ltd के बीच सम्पन्न Auction Platform and Service Agreement के कंडिका 2.1 (d) में NCDEX e Market Services Ltd के द्वारा warehouse management services उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है ।

उक्त प्रावधान के आलोक में राज्य खाद्य निगम द्वारा गोदाम प्रबंधन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है । उक्त प्रस्ताव पर झारखंड राज्य खाद्य निगम के निदेशक पर्षद की 14वीं बैठक में विमर्शोपरांत कतिपय संशोधनों के साथ NeML के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है ।

6. NeML के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में उनके द्वारा गोदाम प्रबंधन हेतु Stock Monitoring agency तथा स्वतंत्र Stock Audit agency का चयन सम्मलित है । NeML के द्वारा दोनों एजेंसियों का चयन निविदा के माध्यम से विहित प्रक्रिया एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जायेगा एवं एजेंसियों के चयन के अनुमोदन पर अंतिम निर्णय निदेशक पर्षद का होगा । NeML द्वारा एक Project Management Unit स्थापित किया जायेगा जो गोदाम प्रबंधन हेतु Standard Operating Procedure के कार्यान्यवन, Stock monitoring agency एवं stock Audit agency के बीच समन्वय स्थापित करने, स्थल भ्रमण कर समस्याओं के निराकरण इत्यादि का कार्य करेगा । इन कार्यों के लिए NeML को 2500 रू॰/प्रतिमाह/प्रति गोदाम (कर रहित) देय होगा । NeML के साथ यह एकरारनामा तीन वर्षों के लिये होगा ।

7. गोदाम प्रबंधन की यह प्रणाली प्रारंभ में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के सभी गोदामों में पायलट आधार पर लागू किया किया जायेगा है । छः माह पश्चात् इस प्रणाली का मूल्यांकण किया

जायेगा जिसके फलाफल के आलोक में निगम के निदेशक पर्षद द्वारा राज्य के अन्य जिलों में भी इसे लागू करने पर विचार किया जायेगा ।

8. गोदाम प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के व्यय का वहन झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जायेगा तथा राज्य कोष से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

9. झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों के प्रबंधन हेतु संशोधित प्रणाली के विकास के लिए NCDEX e Market Ltd (NeML) की सेवाएँ Nomination के आधार पर प्राप्त करने के लिए वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करने एवं NeML द्वारा खुली निविदा के माध्यम से Stock Monitoring Agency एवं Stock Audit Agency का चयन किया गया है ।

10. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में Stop gap Arrangement के तहत तीन वर्षों के लिए यह प्रक्रिया अपनायी जायेगी एवं इस समयावधि में इन पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उक्त संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 10 जनवरी, 2017 को हुई बैठक में मद संख्या-18 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 603--100